

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर

क्रमांक 13/2020

दिनांक 18.03.2020

संशोधित आम सूचना

माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी परिपत्र क्रमांक 08/पी.आई./2020 दिनांक 17.03.2020 के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा क्रमांक 12/2020 पर एक सूचना जारी की गई है, जिसमें दिनांक 08.04.2020 को न्यायिक अभिरक्षा में मौजूद अभियुक्तों की पत्रावलियां नियत हो गई है, जबकि माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के आदेश क्रमांक 1163-1195 दिनांक 07.03.2020 के द्वारा दिनांक 08.04.2020 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, जिस कारण दिनांक 08.04.2020 को नियत की गई पत्रावलियों की संशोधित आगामी तिथि जारी किया जाना आवश्यक हो गया है। ऐसे में आदेश क्रमांक 12/20 की क्रम संख्या 07 और 08 में दिनांक 26.03.2020 और 27.03.2020 को नियत न्यायिक अभिरक्षा की पत्रावलियों में दिनांक 08.04.2020 की तिथि दी गई थी, जिसे संशोधित करते हुए 04.04.2020 किया जाता है। बाकी की तिथियां आदेश क्रमांक 12/2020 दिनांकित 18.03.2020 के अनुसरण में यथावत रहेंगी।

संशोधित तालिका

क्र.सं.	सुनवाई की तिथि	ऐसे मामलों में जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, उनमें सुनवाई की तिथि	और अन्य मामलों में सुनवाई की तिथि
01.	18.03.2020	01.04.2020	01.05.2020
02.	19.03.2020	01.04.2020	02.05.2020
03.	20.03.2020	03.04.2020	04.05.2020
04.	21.03.2020	03.04.2020	05.05.2020
05.	23.03.2020	04.04.2020	06.05.2020
06.	24.03.2020	04.04.2020	07.05.2020
07.	26.03.2020	04.04.2020	08.05.2020
08.	27.03.2020	04.04.2020	11.05.2020
09.	28.03.2020	09.04.2020	12.05.2020
10.	30.03.2020	09.04.2020	13.05.2020
11.	31.03.2020	09.04.2020	14.05.2020

प्रतिलिपि:-

01. प्रति वास्ते सूचनार्थ श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर।
02. प्रति वास्ते सूचनार्थ श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर।
03. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, राजाखेड़ा को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से समस्त अधिवक्तागण को सूचित करावें और समस्त अभिभाषकगणों से भी अनुरोध है कि वे अपने पक्षकारान को प्रकरणों की तारीख की सूचना मोबाईल आदि से दें, ताकि वे न्यायालय में आने से बचे और संक्रमण मुक्त व सुरक्षित रहें।
04. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित की जावें, ताकि न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड की जावें।
05. सूचना की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावें।
06. कार्यालय प्रति।

राजाखेड़ा  
18.03.2020  
सिविल न्यायाधीश  
एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट  
राजाखेड़ा (धौलपुर)

राजाखेड़ा  
18.03.2020  
सिविल न्यायाधीश  
एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट  
राजाखेड़ा (धौलपुर)